एमएस एस्कॉर्ट्स लिमिटेड... अपीलकर्ता

बनाम

रमा मुखर्जी...

आपराधिक अपील संख्या 1457/2013

सितम्बर 17, 2013

(पी; सदाशिवम, सी.जे.आई और जस्टिस जगदीश सिंह खेहर)

परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 - धारा 138 चेक का अनादरण -धारा - 138 के तहत अपराध की सुनवाई का क्षेत्राधिकार - किस न्यायालय में निहित है-निर्णित :- जिस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में, चेक को भुनाने के लिए प्रस्तुत किया गया था, उसके पास धारा 138 के तहत दायर परिवाद पर विचार करने का अधिकार क्षेत्र होगा।

यह मुद्दा इस बात पर विचार करने के लिए उठा कि क्या न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत, परिवादी ने अनादरित चेक (आरोपी द्वारा जारी) प्रस्तुत किया था, क्या उस न्यायालय के पास परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 138 के तहत दायर याचिका पर विचार करने का अधिकार क्षेत्र था।

उच्च न्यायालय ने माना कि सिर्फ इसलिए कि संबंधित अनादरित चेक को परिवादी द्वारा दिल्ली में नकदीकरण के लिए प्रस्तुत किया गया

था या डिमांड नोटिस दिल्ली से भेजा गया था, दिल्ली की अदालतों के पास मामले की सुनवाई करने का अधिकार क्षेत्र नहीं होगा। उच्च न्यायालय ने चेक अदाकर्ता(अर्थात परिवादी) द्वारा यह निष्कर्ष निकालने के लिए की गई प्रार्थना को स्वीकार कर लिया कि दिल्ली की अदालतों के पास परक्राम्य लिखत की धारा 138 के तहत अपीलकर्ता द्वारा दायर शिकायत पर सुनवाई करने का अधिकार क्षेत्र नहीं है। वर्तमान अपील।

अत: कोर्ट द्वारा अपील स्वीकार की गई।

अभिनिर्धारित: 1.1. यह स्पष्ट है कि उच्च न्यायालय में चुनौती ग्रस्त आदेश में जो निष्कर्ष निकाला है, वह निशांत अग्रवाल के मामले में इस न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के अनुरूप नहीं है जिसमें यह निष्कर्ष निकाला गया है कि जिस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में, अनादरित चेक को भुनाने के लिए प्रस्तुत किया गया था, उसके पास धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के तहत दायर परिवाद पर विचार करने का अधिकार क्षेत्र होगा। निशांत अग्रवाल के मामले में इस न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले के अलावा, इस न्यायालय की एक अन्य पीठ भी विचाराधीन मुद्दे पर निशांत अग्रवाल के मामले में निकाले गए निष्कर्ष पर पहुंची है। इस संबंध में, फिल इंडस्ट्रीज लिमिटैड बनाम इम्तियाज अहमद भट्ट मामले में दिए गए निर्णय का संदर्भ लिया जा सकता है(पैरा 5, 6) (351-ए-डी)

1.2. उपरोक्त के मद्देनजर, उच्च न्यायालय द्‌वारा आक्षेपित निर्णय के पैराग्राफ 13 में ध्यान में रखी गई तथ्यात्मक स्थिति पर इस न्यायालय का मानना है कि उच्च न्यायालय में यह निष्कर्ष निकालने में गलती की कि दिल्ली की अदालतों के पास अधिकार क्षेत्र नहीं है कि अपीलकर्ता द्‌वारा परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के तहत दायर याचिका पर विचार करे तदनुसार, उच्च न्यायालय द्‌वारा पारित आक्षेपित आदेश को रद्द किया जाता है। (पैरा 7) (354-ई-एफ)

निशांत अग्रवाल बनाम कैलाश कुमार शर्मा (आपराधिक अपील संख्या 2013 का 808(2011 एसएलपी(क्रिमिनल) संख्या 9434/2011) सुप्रीम कोर्ट का निर्णय दिनांक 1.7.2013) और *फिल इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम इम्तियाज अहमद भट* (2013 आपराधिक अपील संख्या 1168) (2012 की एसएलपी(क्रिमिनल) संख्या 8096/2012), सुप्रीम कोर्ट का निर्णय दिनांक 12.8.2013) संदर्भित।

के भास्करन बनाम शंकर वैद्‌यम और अन्य (1999) 7 एससीसी 510 : 1999 (3) सप्ल एससीआर एससीआर 271; *श्री ईसर अलॉयज स्टील्स लिमिटेड बनाम जयसवाल एनईसीओ लिमिटेड* (2003) 3 एससीसी 609, *हरमन इलेक्ट्रोनिक्स प्राईवेट लिमिटेड बनाम नेशनल पैनासोनिक इंडिया प्रा. लिमिटेड* (2009) 1 एससीसी 720 : 2008(17) एससीआर 487

और *फिल इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम इम्तियाज अहमद भट* 2014 (2) एससीसी संदर्भित।

2. हालाँकि, सुनवाई के दौरान, जबकि यह अपीलकर्ता का मामला था(वर्तमान मामले की फाईल पर उपलब्ध कुछ दस्तावेजों के आधार पर) यह दोहराने के लिए कि प्रश्नगत चेक, जो अपीलकर्ता के दावे का विषय था परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 138 को दिल्ली में भुनाने के लिए प्रस्तुत किया गया था, प्रतिवादी का तर्क था कि उपरोक्त चैक फरीदाबाद में नकदीकरण के लिए प्रस्तुत किया गया था। तदनुसार, यह निवेदन किया गया कि क्षेत्राधिकार संबंधी मुद्दे को यह स्वीकार करके तय करने की आवश्यकता है कि अनादरित चेक फरीदाबाद में प्रस्तुत किया गया था। इस न्यायालय के लिए तथ्य के विवादित प्रश्न पर विचार करना और निर्णय देना संभव नहीं है प्रतिवादी को ऐसी सलाह दी जाती है, कि इस न्यायालय के समक्ष अब बताई गई तथ्यात्मक स्थिति के आधार पर, क्षेत्राधिकार के मुद्दे पर आपत्ति उठाना उसके लिए खुला होगा। यदि प्रतिवादी ऐसी कोई याचिका उठाता है, तो उस पर विचार किया जाएगा और कानून के अनुसार उसका निपटारा किया जाएगा। (पैरा 8) (354-जी-एच; 355-ए-डी)

केस कानून संदर्भ:

1999(3) सप्ल, एससीआर 271 संदर्भित पैरा 4

(2003) 3 एससीसी 609 संदर्भित पैरा 4

2008 (17) एससीआर 487 संदर्भित पैरा 4

2014 (2) एससीसी 266 संदर्भित पैरा 6

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार- 2013 की आपराधिक अपील संख्या 1457

दिल्ली उच्च न्यायालय, नई दिल्ली के 2011 के आपराधिक विविध मामले संख्या 1715 में निर्णय और आदेश दिनांक 27.04.2012 से।

एस. उदय कुमार सागर, बीना माधवन, परसीना ई.जोसेफ, शिवेन्द्र सिंह(for Lawyer's Knit & Co.) अपीलांट की ओर से

ए.के.डी., देवाशीश मिश्रा, राजेश द्विवेदी, संजय छेत्री, प्रतिवादी की ओर से।

न्यायालय के निर्णय द्वारा

1.**जस्टिस जगदीश सिंह खेहर** इस न्यायालय ने 21.2.2013 को निर्देश दिया कि एसएलपी (सीआरएल) संख्या 7325/2012 को आपराधिक अपील संख्या 808/2013 (एसएलपी (सीआरएल) नंबर 9434/2011 से उत्पन्न) में निर्णय की घोषणा के बाद सूचीबद्ध किया जाए। जिसका शीर्षक *निशांत_अग्रवाल बनाम कैलाश कुमार शर्मा* है। *निशांत अग्रवाल* का मामला (सुप्रा) इस न्यायालय द्वारा 1.7.2013 को निस्तारित किया गया था। इस

न्यायालय के पूर्वोक्त निर्धारण में विचार के लिए जो स्पष्ट प्रश्न उठा, वह यह था कि क्या न्यायालय, जिसके अधिकार क्षेत्र में, परिवादी ने अनादृत चेक (एक आरोपी द्वारा जारी किया गया) प्रस्तुत किया था, के पास धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के तहत दायर याचिका पर विचार करने का अधिकार क्षेत्र था। आपराधिक अपील संख्या 808/2013 का निपटारा करते समय, इस न्यायालय ने सकारात्मक टिप्पणी करते हुए निम्नलिखित निष्कर्ष दिया:

> "(7) हम पहले ही दोनों पक्षों के मामले को अभिवचन भाग में बता चुके हैं। एकमात्र प्रश्न का उत्तर देने के लिए, यह ध्यान रखना प्रासंगिक है कि भिवानी में विद्वान मजिस्ट्रेट के क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार के संदर्भ में निर्विवाद तथ्य यह है कि चेक का लेखीवाल अर्थात प्रतिवादी/परिवादी भिवानी का निवासी है। प्रतिवादी का पैतृक गाँव, गाँव बरसाना, जिला भिवानी में स्थित है। प्रतिवादी के पास गांव बरसाना, जिला भिवानी में पैतृक कृषि भूमि है। <u>यह भी दावा किया गया है कि प्रतिवादी अपना बैंक खाता केनरा बैंक, भिवानी में चला रहा है और पिछले लगभग दो दशकों से वर्तमान पते पर भी रह रहा है। उसी के मद्देनजर, प्रतिवादी का दावा है कि उसने वास्तविक रूप से चेक को अपने बैंक, भिवानी में प्रस्तुत किया था जिसे आगे गुवाहाटी</u>

में लेखीवाल के बैंक में प्रस्तुत किया गया था। चेक बिना भुनाए प्रतिवादी के भिवानी स्थित बैंक में इस पृष्ठांकन के साथ लौटा दिया गया कि "भुगतान जारीकर्ता द्वारा रोक दिया गया"। प्रतिवादी को अनादरित हुआ चेक उसके भिवानी स्थित बैंक से वापस मिल गया। इसके बाद, प्रतिवादी ने परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के तहत भिवानी के अपीलकर्ता को कानूनी नोटिस भेजा। बदले में, अपीलकर्ता ने उक्त नोटिस का जवाब भेजा जो प्रतिवादी को भिवानी में प्राप्त हुआ। चेक राशि का भुगतान न होने पर, प्रतिवादी ने परक्राम्य लिखतअधिनियम की धारा 138 और 141 के तहत भिवानी में विद्वान मजिस्ट्रेट के समक्ष परिवाद प्रस्तुत किया।

(8) चूँकि विचाराधीन मुद्दे पर इस न्यायालय द्वारा के. भास्करन (सुप्रा) में सीधे विचार किया गया है, अन्य निर्णयों की प्रयोज्यता में जाने से पहले, निर्णय के प्रासंगिक भाग पैरा 10 और 11 को संदर्भित करना उपर्युक्त होगा, जो इस प्रकार है:

“10. अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने पहले तर्क दिया कि विचारण अदालत के पास इस मामले की सुनवाई करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है और इसलिए उच्च न्यायालय को

विचारण में एकत्र किए गए सबूतों के आधार पर दोषमुक्ति को दोषसिद्धि में नहीं बदलना चाहिए था। नि-संदेह विचारण अदालत ने अभियुक्तों की इस दलील को बरकरार रखा कि मामले की सुनवाई करना उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं है।

11. हम यह समझने में असफल हैं कि विचारण न्यायालय ने क्षेत्राधिकार के प्रश्न के संबंध में ऐसा कैसे पाया होगा। संहिता की धारा 177 के तहत "प्रत्येक अपराध की सामान्यत: जांच की जाएगी और उस अदालत में मुकदमा चलाया जाएगा जिसके अधिकार क्षेत्र में यह किया गया था"। जिस स्थान में बैंक (जिसने चेक का अनादर किया) स्थित है, उसे अपराध का स्थान निर्धारित करने के लिए एकमात्र मानदंड नहीं माना जा सकता है। यह ध्यान रखना चाहिए कि धारा 138 के तहत अपराध चेक के अनादर के साथ पूरा नहीं होगा। यह तभी पूर्ण होता है जब चेक जारीकर्ता अधिनियम की धारा 138 के परंतुक के खंड (सी) में उल्लिखित 15 दिनों की समाप्ति के भीतर चेक राशि का भुगतान करने में विफल रहता है।चेक द्वारा दी गई राशि का भुगतान करने में विफलता के स्थान के रूप में किसी विशेष स्थान को तय करना आम तौर पर मुश्किल होता है। उस उद्देश्य के लिए कोई स्थान विभिन्न कारकों पर निर्भर करेगा। यह या तो उस स्थान पर हो सकता है जहां भुगतानकर्ता रहता है या उस स्थान पर जहां आदाता रहता है या उस स्थान पर जहां उनमें से कोई एक व्यवसाय करता है। इसलिए, अधिनियम की धारा 138 के तहत अपराध के

लिए किसी विशेष स्थान को घटना स्थल के रूप में तय करने में कठिनाई होती है।"

यह स्पष्ट है कि इस न्यायालय ने संहिता के प्रासंगिक प्रावधानों, विशेष रूप से धारा 177, 178 और 179 पर भी चर्चा की और इस्तेमाल की गई भाषा के आलोक में, परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा_138 की व्याख्या की और निर्धारित किया कि धारा 138 के पांच घटक हैं, जो इस प्रकार है,

i) चेक का आहरण;

ii) बैंक में चेक की प्रस्तुति;

iii) अदाकर्ता बैंक द्वारा भुगतान न किए गए चेक को वापस करना;

iv) चेक जारीकर्ता को चेक राशि के भुगतान की मांग करते हुए लिखित रूप में नोटिस देना; और

v) नोटिस प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर भुगतान करने में भुगतानकर्ता की विफलता।

इतना कहने के बाद न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि परिवादी परिवाद प्रस्तुत करने के लिए पांच स्थानों में से किसी एक को चुन सकता है। उक्त निर्णय में आगे की चर्चा यहां दी गई है:

15. यह आवश्यक नहीं है कि उपरोक्त सभी पांचों क़त्य एक ही स्थान में किये गये हों। यह संभव है कि उक्त पांच कृत्यों में से प्रत्येक को पांच अलग-अलग स्थानों में किया जा सकता है। लेकिन संहिता की धारा 138 के तहत अपराध को पूरा करने के लिए उपरोक्त पांचों का संयोजन एक अनिवार्य शर्त है। इस संदर्भ में संहिता की धारा 178(डी) का संदर्भ उपयोगी है। इसे नीचे निकाला गया है:

“178. (ए) - (सी) * * *

(डी) जहां अपराध में विभिन्न स्थानीय क्षेत्रों में किए गए कई कार्यों से मिलकर बनता है, वहां उसकी जांच या विचारण ऐसे स्थानीय क्षेत्रों में से किसी पर अधिकारिता रखने वाले न्यायालय द्वारा किया जा सकता है।

16. इस प्रकार यह स्पष्ट है, यदि पांच अलग-अलग कार्य पांच अलग-अलग स्थानों में किए गए थे, तो पांच स्थानीय क्षेत्रों में क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने वाली किसी भी अदालत में से कोई भी अधिनियम की धारा 138 के तहत अपराध के लिए विचारण का स्थान बन सकती है। दूसरे शब्दों में, परिवादी उन अदालतों में से किसी एक को चुन सकता है जिनके क्षेत्रीय सीमा के भीतर स्थानीय क्षेत्रों में से किसी एक पर अधिकार क्षेत्र है, जहां उन पांच कृत्यों में से कोई एक किया गया था। चूंकि आयाम इतना व्यापक और विस्तार है, इसलिए अधिनियम की धारा 138 के तहत अपराध के संबंध में क्षेत्राधिकार संबंधी प्रश्न उठाना एक आदर्श अभ्यास है।

(9) के. भास्करन (सुप्रा) के पैरा 11 में, जैसा कि ऊपर उद्धृत किया गया है, पांचवें घटक के अनुसार क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार के संदर्भ में स्थान को स्पष्ट किया गया है, अर्थात्, "प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर भुगतान करने में भुगतानकर्ता की विफलता।" जैसा कि प्रतिवादी के विद्वान वरिष्ठ वकील ने ठीक ही बताया है, राशि का भुगतान करने में विफलता के स्थान को इस न्यायालय द्वारा स्पष्ट रूप से वह स्थान माना गया है जहां भुगतानकर्ता रहता है या वह स्थान जहां अदाता रहता है। इसे ध्यान में रखते हुए और इस न्यायालय द्वारा *के.भास्करन* (सुप्रा) में निर्धारित कानून के आलोक में, हमारा विचार है कि प्रतिवादी के रूप में प्रतिवादी द्वारा दायर परिवाद पर सुनवाई करने का क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र भिवानी के विद्वान मजिस्ट्रेट के पास है। प्रतिवादी निर्विवाद रूप से भिवानी का निवासी है। इसके अलावा, *के. भास्करन*(सुप्रा) में, स्थानीय क्षेत्राधिकार पर काफी विस्तार से विचार करते हुए, इस न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला है कि परक्राम्य लिखत अधिनियम के तहत परिवाद से संबंधित स्थानीय क्षेत्राधिकार का दायर बहुत व्यापक और विस्तारित है और हम इससे पूरी तरह सहमत हैं।

(12) अपीलकर्ता के विद्वान वरिष्ठ वकील श्री अहमदी ने इस न्यायालय के निर्णय *हरमन इलेक्ट्रोनक्स प्राईवेट लिमिटेड और अन्य बनाम नेशनल पैनासोनिक इंडिया प्राईवेट लिमिटेड*, (2009) एससीसी 720 पर भी भरोसा किया है। *हरमन इलैक्ट्रानिक्स* (सुप्रा) में, परिवादी और

आरोपी ने एक व्यापारिक लेनदेन किया। आरोपी चंडीगढ़ का रहने वाला था, उसके चंडीगढ़ में कारोबार किया और चंडीगढ़ में चेक जारी किया। परिवादी की एक शाखा कार्यालय चंडीगढ़ में थी, हालांकि उसका मुख्य कार्यालय दिल्ली में था, उसने आरोपी द्वारा दिया गया चैक चंडीगढ़ में पेश किया। चेक चंडीगढ़ में अनादरित हो गया। परिवादी ने दिल्ली से आरोपी को नोटिस जारी कर राशि का भुगतान करने को कहा। उक्त नोटिस आरोपी को चंडीगढ़ में तामील कराया गया था। उक्त पत्र के संचार की तारीख से 15 दिनों के भीतर आरोपी की ओर से राशि का भुगतान करने में विफलता पर, परिवादी ने दिल्ली में परिवाद पेश किया। परिवाद में कहा गया था कि दिल्ली कोर्ट को मामले की सुनवाई करने का अधिकार है क्योंकि परिवादी दिल्ली में व्यवसाय कर रहा था, डिमांड नोटिस दिल्ली से जारी किया गया था, चेक की राशि दिल्ली में देय थी और आरोपी नोटिस प्राप्ति की तारीख से 15 दिनों की वैधानिक अवधि के भीतर उक्त चेक का भुगतान करने में विफल रहा। तत्पश्चात अपराध का संज्ञान दिल्ली के विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा लिया गया था। अभियुक्त ने अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश दिल्ली के समक्ष मजिस्ट्रेट के अधिकार क्षेत्र पर सवाल उठाये। सत्र न्यायाधीश दिल्ली ने अभिनिधार्रित किया कि दिल्ली के मजिस्ट्रेट के पास परिवाद पर विचार करने का अधिकार क्षेत्र है, क्यांकि यह स्वीकृत है कि परिवादी द्वारा आरोपी को दिल्ली से नोटिस भेजा गया था और परिवादी का पंजीकृत कार्यालय दिल्ली में था और वह दिल्ली में

व्यवसाय कर रहा था। विद्वान न्यायाधीश ने यह भी पर्यवेक्षण किया कि आरोपी दिल्ली में भुगतान करने में विफल रहा क्योंकि मांग दिल्ली से की गई थी और भुगतान परिवादी को दिल्ली में किया जाना था। दिल्ली उच्च न्यायालय ने आरोपी की ओर से दायर याचिका को खारिज कर दिया, तत्पश्चात् आरोपी ने इस अदालत का दरवाजा खटखटाया। इस न्यायालय ने परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 पर विचार किया और *के. भास्करन* के मामले (सुप्रा) का भी उल्लेख किया और धारा 138 के तहत अपराध के पांच घटकों को उद्धृत किया जिन्हें पैराग्राफ सुप्रा में नोट किया गया है। इस न्यायालय ने दोहराया कि पांच अलग-अलग कार्य जो परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के तहत अपराध के घटक हैं, पांच अलग-अलग इलाकों में किए गए थे, पांच स्थानीय क्षेत्रों में से किसी एक में क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने वाली अदालतों में से कोई भी अदालत मुकदमे की सुनवाई का स्थान बन सकती है धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के तहत परिवादी इसमें से किसी भी स्थान पर परिवाद दर्ज करने के लिए स्वतंत्र होगा। अंतत:, इस न्यायालय ने माना कि चंडीगढ न्यायालय के पास परिवाद पर विचार करने का अधिकार क्षेत्र था, क्योंकि दोनों पक्ष चंडीगढ़ में व्यवसाय कर रहे थे, परिवादी की शाखा कार्यालय भी चंडीगढ़ में थी, लेन-देन केवल चंडीगढ़ से किया गया था और चेक जारी और प्रस्तुत चंडीगढ़ में किया गया था। इस अदालत ने ध्यान दिया कि परिवाद में यह नहीं दर्शित किया कि चैक दिल्ली में प्रस्तुत किया गया था,

क्योंकि इस संबंध में परिवादी बिल्कुल मौन था, इसलिए यह मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं था कि चेक चंडीगढ़ में प्रस्तुत किया गया था। इसमें कोई विवाद नहीं है कि चेक का अनादरण भी चंडीगढ़ में हुआ था और इसलिए, इस न्यायालय के समक्ष विचार के लिए एकमात्र प्रश्न यह था कि क्या दिल्ली से नोटिस भेजने से परक्राम्य लिखत में संज्ञान लेने का वाद कारण बनेगा। ऐसी परिस्थितियों में हमारा विचार है कि हरमन इलेक्ट्रोनिक्स (सुप्रा) केवल उस प्रश्न पर एक न्यायिक निर्णय है जहां एक अदालत का क्षेत्राधिकार होगा क्योंकि केवल उस स्थान से नोटिस जारी किया जाता है जो उसके अधिकार क्षेत्र में आता है और यह अन्य सिद्धांतों से विचलित नहीं होता है, जिन्हें के. भास्करन(सुप्रा) में निर्धारित किया गया हो। इस न्यायालय ने स्वीकार किया है कि जिस स्थान पर चैक प्रस्तुत किया गया था और अनादरित हुआ था, उस स्थान पर परिवाद की सुनवाई का अधिकार क्षेत्र है। इस प्रकार, इस न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि नोटिस जारी करना अपने आप में वाद का कारण नहीं बनेगा, बल्कि नोटिस का संचार होना आवश्यक है, दूसरे शब्दों में, अदालत ने स्पष्ट किया कि नोटिस की तामील होना और 15 दिनों की अवधि के भीतर आरोपी की ओर से राशि का भुगतान करने में विफलता पर अपराध का घटित होना पूरा हो जाता है। <u>हमारा विचार है कि हरमन इलेक्टोनिक्स(सुप्रा) में इस न्यायालय ने *के. भास्करन*(सुप्रा) में जो कहा था, उसकी पुष्टि की है कि वह न्यायालय जिसके अधिकार क्षेत्र में चेक प्रस्तुत</u>

किया गया है और जिसके अधिकार क्षेत्र में नोटिस प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर भुगतान करने में विफलता हुई है। नोटिस प्राप्त करने पर धारा 138 के तहत अपराध का विचारण करने का क्षेत्राधिकार हो सकता है। यहां यह बताना भी प्रासंगिक है कि यह मानते हुए कि चंडीगढ़ न्यायालय का क्षेत्राधिकार है, हरमन इलेक्ट्रोनिक्स(सुप्रा) में इस न्यायालय ने पाया कि उसके समक्ष मामले में परिवाद इस बारे में मौन था कि क्या उक्त चेक दिल्ली में प्रस्तुत किया गया था। मौजूदा मामले में, यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि चेक भिवानी से प्रस्तुत किया गया था, जबकि हरमन इलेक्ट्रोनिपक्स(सुप्रा) में अनादरण चंडीगढ़ में हुआ था और उक्त तथ्य को यह मानते हुए ध्यान में रखा गया था कि चंडीगढ़ अदालत का क्षेत्राधिकार है। संबंधित परिवाद में, यह विशेष रूप से कहा गया है कि अनादरण भिवानी में हुआ था। हम इस बात से भी संतुष्ट हैं कि हरमन इलेक्ट्रोनिक्स(सुप्रा) में कही गई किसी भी बात का वर्तमान मामले में परिवादी के मामले पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा।

(13) जैसा कि पहले पाया गया है, हमें ध्यान देना चाहिए कि के. भास्करन (सुप्रा) मामले में, इस न्यायालय ने माना है कि संहिता की धारा 178 ने एक आपराधिक अदालत के अधिकार क्षेत्र का दायरा बढ़ा दिया है और संहिता की धारा 179 ने इसे व्यापक स्थिति तक बढ़ा दिया है। इसके अलावा, दोहराव के लिए, हम दोहराते हैं कि ईशर अलॉय (सुप्रा) का निर्णय के. भास्करन (सुप्रा) में इस अनुपात को प्रभावित नहीं करता है जो

भुगतानकर्ता और प्राप्तकर्ता के निवास स्थान पर अधिकार क्षेत्र प्रदान करता है। हम संतुष्ट हैं कि तथ्यों और परिस्थितियों और यहां तक कि गुण-दोष के आधार पर, उच्च न्यायालय ने संहिता की धारा 482 के तहत अपने असाधारण क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने से इनकार कर दिया और अपीलकर्ता-अभियुक्त द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया।

(14) उपरोक्त चर्चा के आलोक में, हम मानते हैं कि के. भास्करन (सुप्रा) में निर्धारित अनुपात सीधे तौर पर हस्तगत मामले पर लागू होता है। उक्त सिद्धांत को विद्वान सत्र न्यायाधीश के साथ-साथ उच्च न्यायालय द्वारा भी सही ढंग से लागू किया गया था। प्रमाणित:, अपील अस्वीकार कर खारिज की जाती है। अपील खारिज होने के मद्देनजर, इस न्यायालय द्वारा 09.12.2011 को पारित किया गया अंतरिम आदेश निरस्त होता है।

2. इजाजत दी जाती है।

3. हमने प्रतिद्वंद्वी पार्टियों के विद्वान वकील को सुना है। *निशांत अग्रवाल* के मामले (सुप्रा) के निपटारे के बाद तत्काल मामले को सुनवाई के लिए नियत करने का कारण यह था कि इसमें उत्पन्न होने वाला विवाद बिल्कुल वैसा ही था जैसा *निशांत अग्रवाल* के मामले (सुप्रा) में इस अदालत द्वारा निर्धारित करने की मांग की गई थी। वर्तमान सिविल अपील के निपटान के लिए आवश्यक तथ्यात्मक स्थिति दिल्ली उच्च

न्यायालय द्वारा पारित आदेश के पैराग्राफ 13 में देखी गई। जो कि उसी अनुसार दिया गया:

> "13.इस प्रकार, याचिकाकर्ता द्वारा मेसर्स रेलिगेयर फिनवेस्ट (सुप्रा) पर भरोसा किया गया, यह एक ऐसा मामला था जहां चेक को अनादरित करने वाली बैंक की समाशोधन शाखा भी नई दिल्ली में स्थित थी। उक्त मामले में, अधिकार क्षेत्र दिल्ली के न्यायालयों में निहित था क्योंकि चेक जारीकर्ता के बैंक की समाशोधन शाखा दिल्ली में थी, न कि इसलिए कि चेक आदाता बैंक में प्रस्तुत किया गया था या मांग का कानूनी नोटिस दिल्ली में किसी स्थान से जारी किया गया था। उपरोक्त निर्णयों को वर्तमान मामले के तथ्यों पर लागू करते हुए, मैं यह कहना उचित नहीं समझता कि सिर्फ इसलिए कि चेक दिल्ली में प्रस्तुत किए गए थे या डिमांड नोटिस दिल्ली से भेजा गया था, दिल्ली की अदालतों को वर्तमान मामले की सुनवाई करने का अधिकार क्षेत्र होगा। "

4. इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि चेक को परिवादी द्वारा दिल्ली में नकदीकरण के लिए प्रस्तुत किया गया था, और *के. भास्करन बनाम शंकरन वैध्यम बालन*

और अन्य , (1999) 7 एससीसी 510, *श्री ईशर अलॉयज स्टील्स लिमिटेड बनाम जयसवाल एनईसीओ लिमिटेड*, (2003) 3 एससीसी 609, और *हरमन इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम नेशनल पैनासोनिक इंडिया प्रा. लिमिटेड*, (2009) 1 एससीसी 720 में इस न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों का उल्लेख किया गया है। उच्च न्यायालय ने चेक अदाकर्ता (अर्थात यहां प्रतिवादी) द्वारा यह निष्कर्ष निकालने के लिए की गई प्रार्थना को स्वीकार कर लिया कि दिल्ली की अदालतों के पास अपीलकर्ता द्वारा दायर परिवाद परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के तहत सुनवाई करने का अधिकार क्षेत्र नहीं है।_ऐसा निष्कर्ष निकालने के बाद, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, जिसके समक्ष मामला लंबित था, को प्रतिवादी को परिवाद वापस करने का निर्देश दिया गया था। अपीलकर्ता को कोलकाता में क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय के समक्ष वापस की गई याचिका दायर करने की स्वतंत्रता दी गई थी।

5. यह स्पष्ट है कि दिनांक 27.4.2012 के आक्षेपित आदेश में उच्च न्यायालय द्वारा निकाला गया निष्कर्ष, *निशांत अग्रवाल* के मामले (सुप्रा) में इस न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के अनुरूप नहीं है। इसमें यह निष्कर्ष निकाला गया है कि जिस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में,

अनादरित चेक को भुनाने के लिए प्रस्तुत किया गया था, उसके पास परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के तहत दायर परिवाद पर विचार करने का अधिकार क्षेत्र होगा।

6. निशांत अग्रवाल के मामले में इस न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले के अलावा, इस न्यायालय की एक अन्य पीठ भी विचाराधीन मुद्दे पर निशांत अग्रवाल के मामले में निकाले गए निष्कर्ष पर पहुंची है। इस संबंध में, *फिल इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम इम्तियाज अहमद भट*, 2013 की आपराधिक अपील संख्या 1168 (2012 की एसएलपी (सीआरएल) संख्या 8096 से उत्पन्न), 12.8.2013 को दिए गए निर्णय का संदर्भ लिया जा सकता है। उपरोक्त मामले में इस न्यायालय ने निम्नानुसार निर्णय लिया:

> "3. संक्षेप्त: तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रतिवादी ने 23 दिसंबर, 2010 को `29,69,746/- (उनतीस लाख उनतर हजार सात सौ छियालीस रुपये मात्र) की राशि का एक चेक जम्मू और कश्मीर बैंक लिमिटेड, शाखा इमाम साहब शोपियां का अपीलकर्ता को कुछ व्यापारिक सौदों के लिए दिया और अपीलकर्ता ने उसे यूको बैंक, सोपोर में जमा कर दिया। जब चेक राशि भुनाई नहीं गई और यूको बैंक सोपोर में अपीलकर्ता के खाते में एकत्र नहीं हुई, तो अपीलकर्ता ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सोपोर के समक्ष परक्राम्य लिखत

अधिनियम, 1881 की धारा 138 के तहत परिवाद दर्ज किया। प्रतिवादी ने इस आधार पर परिवाद को खारिज करने की मांग की कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास परिवाद पर विचार करने का कोई स्थानीय क्षेत्राधिकार नहीं था। हालाँकि, 29 नवंबर, 2011 के आदेश द्वारा, विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सोपोर ने माना कि परिवाद पर विचार करना उनके अधिकार क्षेत्र में है। व्यथित होकर, अपीलकर्ता ने जम्मू- कश्मीर आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 561 ए के तहत आपराधिक विविध याचिका संख्या 431/2011 दायर की और 2 जून, 2012 के आक्षेपित आदेश द्वारा, उच्च न्यायालय ने शिकायत को यह कहते हुए रद्द कर दिया कि सोपोर की अदालत को शिकायत प्राप्त करने और उस पर विचार करने का कोई क्षेत्राधिकार नहीं था।

4. हमने पक्षों के विद्वान वकील को सुना है और हमने पाया है कि *के. भास्करन बनाम शंकरन विद्याबालन और अन्य* , (1999) 7 एससीसी 510 में, इस न्यायालय के पास इस बात पर विचार करने का अवसर था कि किस न्यायालय के पास परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के तहत परिवाद पर विचार करने का अधिकार क्षेत्र होगा और उपरोक्त मामले में निर्णय के पैरा 14, 15 और 16 में निम्नानुसार संदर्भित किया गया: -

"14. अधिनियम की धारा 138 के तहत अपराध केवल कई कृत्यों के संयोजन के साथ पूरा किया जा सकता है। निम्नलिखित कार्य उक्त अपराध के घटक हैं: (1) चेक का आहरण, (2) चेक को बैंक में प्रस्तुत करना, (3) अदाकर्ता बैंक द्वारा भुगतान न किए गए चेक को वापस करना, (4) लिखित में नोटिस देना चेक जारीकर्ता को चेक राशि के भुगतान की मांग करना, (5) नोटिस प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर भुगतान करने में चेक जारीकर्ता की विफलता।

15. यह आवश्यक नहीं है कि उपरोक्त सभी पांच कृत्य एक ही स्थानीय क्षेत्र में किये गये हों। यह संभव है कि उन पांच कृत्यों में से प्रत्येक को 5 अलग-अलग स्थानों में किया जा सकता है। लेकिन संहिता की धारा 138 के तहत अपराध को पूरा करने के लिए उपरोक्त सभी पांचों का संयोजन एक अनिवार्य शर्त है। इस संदर्भ में संहिता की धारा 178(डी) का संदर्भ उपयोगी है। जो निम्न प्रकार है:

(डी) जहां अपराध में विभिन्न स्थानीय क्षेत्रों में किए गए कई कार्यों से मिलकर बनता है, वहां उसकी जांच या विचारण ऐसे स्थानीय क्षेत्रों में से किसी पर अधिकारिता रखने वाले न्यायालय द्वारा किया जा सकता है।

16. इस प्रकार यह स्पष्ट है, यदि पांच अलग-अलग कार्य पांच अलग-अलग स्थानों में किए गए थे, तो पांच स्थानीय क्षेत्रों में क्षेत्राधिकार

का प्रयोग करने वाली किसी भी अदालत में से कोई भी अधिनियम की धारा 138 के तहत अपराध के लिए विचारण का स्थान बन सकती है। दूसरे शब्दों में, परिवादी उन अदालतों में से किसी एक को चुन सकता है जिनके क्षेत्रीय सीमा के भीतर स्थानीय क्षेत्रों में से किसी एक पर अधिकार क्षेत्र है, जहां उन पांच कृत्यों में से कोई एक किया गया था। चूंकि आयाम इतना व्यापक और विस्तार है, इसलिए अधिनियम की धारा 138 के तहत अपराध के संबंध में क्षेत्राधिकार संबंधी प्रश्न उठाना एक आदर्श अभ्यास है।

5. *के. भास्करन* के मामले (सुप्रा) में फैसले के उपरोक्त पैराग्राफ से यह स्पष्ट हो जाएगा कि पांच अलग-अलग कृत्य परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के तहत अपराध बनाते हैं और यदि इन पांच अलग-अलग कृत्यों में से कोई भी एक विशेष स्थान में किया गया था, उस स्थान पर क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार रखने वाला न्यायालय परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के तहत अपराध के लिए मुकदमे की सुनवाई का स्थान बन सकता है और इसलिए, शिकायतकर्ता उन अदालतों में से किसी एक को चुन सकता है जिनके क्षेत्रीय सीमाएँ जिनमें से पाँच कृत्यों में से कोई एक किया गया था। क्षेत्राधिकार रखता हो। वर्तमान मामले के तथ्यों में, यह विवादित नहीं है कि चेक सोपोर में यूको बैंक को प्रस्तुत किया गया था जिसमें अपीलकर्ता का खाता था और इसलिए सोपोर की अदालत के पास परिवाद पर विचार करने और मुकदमा चलाने का क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार था।

6. प्रतिवादी के विद्वान वकील ने, हालांकि, हरमन इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड और अन्य बनाम नेशनल पैनासोनिक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में इस न्यायालय के फैसले पर निर्भर होते हुए कहा कि शोपियां के न्यायालय के पास क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार होगा। हमने हरमन इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड (सुप्रा) में इस न्यायालय के उपरोक्त निर्णय का अध्ययन किया है और उपरोक्त मामले में निर्णय के पैराग्राफ 11 और 12 को पढ़ने पर हमें पता चला है कि उस मामले में मुद्दा यह था कि क्या दिल्ली से नोटिस भेजा जाना स्वयं परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के तहत मामले का संज्ञान लेने के लिए पर्याप्त हेतुक है, जबकि पार्टियां चंडीगढ़ में कारोबार कर रही थीं, प्रतिवादी-परिवादी का मुख्य कार्यालय दिल्ली में था, लेकिन शाखा चंडीगढ़ में थी और सभी लेन-देन केवल चंडीगढ़ से ही किए जाते थे। इन तथ्यों पर, इस न्यायालय ने निर्णित किया कि दिल्ली, जहां से प्रतिवादी द्वारा परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के तहत नोटिस जारी किया गया था , को परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के तहत परिवाद पर विचार करने का अधिकार क्षेत्र नहीं था। वर्तमान मामले के तथ्यों में यह प्रश्न नहीं उठता।

7. उपरोक्त कारणों से, हम अपील की अनुमति देते हैं, उच्च न्यायालय के आक्षेपित फैसले को रद्द करते हैं और मामले को कानून के अनुसार निर्णय के लिए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सोपोर के पास भेजते हैं।

7. उपरोक्त के मद्देनजर, आक्षेपित निर्णय के पैराग्राफ 13 में उच्च न्यायालय द्वारा ध्यान में रखी गई तथ्यात्मक स्थिति पर हमारा विचार है कि उच्च न्यायालय ने यह निष्कर्ष निकालने में गलती की कि दिल्ली की अदालतों के पास परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के तहत अपीलकर्ता द्वारा दायर याचिका पर विचार करने का अधिकार क्षेत्र नहीं था। तदनुसार, उच्च न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 27.4.2012 का आक्षेपित आदेश रद्द किये जाने योग्य है। अत: उसे एतद्द्वारा अपास्त किया जाता है।

8. यहां ऊपर हमारे द्वारा निकाले गए निष्कर्ष के बावजूद, यह उल्लेख करना प्रासंगिक होगा कि हमारा तत्काल निर्धारण उच्च न्यायालय द्वारा आक्षेपित आदेश के पैराग्राफ 13 में व्यक्त तथ्यात्मक स्थिति पर आधारित है। सुनवाई के दौरान, जबकि यह अपीलकर्ता के विद्वान वकील का मामला था (वर्तमान मामले की फाइल पर उपलब्ध कुछ दस्तावेजों के आधार पर) यह दोहराने के लिए कि प्रश्नगत में चेक, जो अपीलकर्ता के दावे का विषय था परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 को, दिल्ली में नकदीकरण के लिए प्रस्तुत किया गया था, प्रतिवादी के विद्वान वकील का तर्क था कि उपरोक्त चेक नकदीकरण के लिए फरीदाबाद में प्रस्तुत किया गया था। तदनुसार, यह निवेदन किया गया कि क्षेत्राधिकार संबंधी मुद्दे को स्वीकार करके तय करने की आवश्यकता है कि अनादरित चेक फ़रीदाबाद में प्रस्तुत किया गया था। इस तथ्य के किसी विवादित प्रश्न पर

विचार करना और उस पर निर्णय देना हमारे लिए संभव नहीं है। हमने उच्च न्यायालय द्वारा विचार की गई तथ्यात्मक स्थिति पर तत्काल निर्णय दिया है। यहां प्रतिवादी को ऐसी सलाह दी जाती है कि हमारे सामने बताई गई तथ्यात्मक स्थिति के आधार पर, अधिकार क्षेत्र के मुद्दे पर आपत्ति उठाना उसके लिए खुला होगा। हमारे द्वारा दिया गया निर्धारण क्षेत्राधिकार के मुद्दे का निपटारा करते समय उच्च न्यायालय (ऊपर दिए गए पैराग्राफ 13 में) द्वारा विचार की गई तथ्यात्मक स्थिति पर माना जाना चाहिए। यदि प्रतिवादी ऐसी कोई याचिका उठाता है, तो उस पर विचार किया जाएगा और कानून के अनुसार उसका निपटारा किया जाएगा।

9. उपरोक्त शर्तों के अनुसार अपील स्वीकार की जाती है।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक मुकुल गहलोत (न्यायिक अधिकारी) द्वारा किया गया है। अस्वीकरणः- यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिये स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और अधिकारिक उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंगे्रजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।